# बिहार विधान-सभा वादवृत्त

बुधवार, तिथि ३ जून, १९७० ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकल विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में बुधवार, तिथि ३ जून, १९७० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री राम नारायण मंडल के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

व्यवस्था का प्रश्न :

(क) सदन में दिए गए भाषण के अंश का समाचार-पत्र में गलत प्रकाशन ।

श्रीमती सुनैना देवी---सभापतिजी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सिंचाई पर मैंने ३० तारीख को जो भाषण दिया था उसके बारे में पेपर में निकला है कि कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्या ने चापाकल की मांग की थी । ऐसी बात नहीं है । मैंने चापाकल की मांग नहीं की थी । यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इससे मेरे विशेषाधिकार का हनन होता है । (हंसी) ।

श्री रामानन्द सिंह---सभापतिजी, माननीया सदस्या ने जो सवाल उठाया है उसे हंस कर टाला नहीं जा सकता है । कोई बयान नहीं दे और वह पेपर में प्रकाशित हो जाय, यह उनके विशेषाधिकार का प्रश्न है । उनके अधिकार की रक्षा होनी चाहिए । इसे हंस कर नहीं टालना चाहिए ।

सभापति (श्री शकूर अहमद)---यह शिकायत आप को लिख कर देनी चाहिए ।

श्री रामानन्द सिंह – यह व्यवस्था का प्रश्न है । जो सदस्य बोले वही पब्लिश होना चाहिए । आप का इसपर रूलिंग चाहिए ।

सभापति (श्री शकूर अहमद) – जब तक आप लिख कर नहीं दीजिएगा, कोई कार्रवाई कैसे की जा सकती है ।

श्री रामानन्द सिंह---लिख कर देने का कोई नियम नहीं है ।

श्री श्यामसुन्दर दास---सभापति जी, माननीया सदस्या ने डीप बोरिंग की मांग की थी लेकिन चापाकल छप गया । यह व्यवस्था का प्रश्न है । (हंसी) ।

## ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार का वक्तव्य :

## भागलपुर केन्द्रीर कारा के बंदियों पर प्रहार।

*श्री दारोगा प्रसाद राय—सभापति महोदय, १९ मई, १९७० को दिन में भागलपुर केन्द्राय कारा के सेहा स्थित कुछ बंदियों ने अनुमति प्राप्त कर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन किया था। इसी पूजा के अवसर पर उन सबों को एक सेल में इकट्ठा होने का मौका मिला और इसका नाजायज फायदा उठा कर उनमें से १४ बंदी करीब ३ बजे पुराने सेल की छत पर चढ़ गए। उन सबों की पूजा का यह धार्मिक बहाना इतना निर्दोष था कि डियुटी पर तैनात कोई सिपाही उनके इस बुरे इरादे को भांप न सके और पहले से उन बंदियों पर इस काम में शंका करने का कोई स्पष्ट कारण भी न था। यहां तक कि उस स्थान पर डियुटी पर तैनात कक्षपालों में से एक सिपाही (दारोगा राम) अपने डियुटी-पोस्ट से हट कर दूसरी जगह चले गए थे जिस कारण उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। उपरोक्त सिपाही की अनुपस्थिति के कारण एकत्रित १४ बंदियों ने सेल के पैखाने का ईंटा वगैरह निकाल लिया। उपरोक्त सेल में आवश्यकता पड़ने पर बंदियों द्वारा कक्षपाल के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए बहुत दिनों से एक घंटा का प्रबंध है। उक्त घंटा के साथ जो छड़ और तार थे बंदीगण ने उन्हें भी उखाड़ लिया और उन सामानों को लेकर तुरत ही सेल की छत पर चढ़ गए और सेल की छत के कुछ हिस्से को तोड़ने लगे। दूसरे कक्षपाल जो कुछ दूर डियूटी पर थे वे देखते ही अपने उच्च पदाधिकारियों एवं उच्च कक्षपालों को एक बंदी अधिदर्शक के द्वारा सूचना दी। तत्पश्चात् उन्होंने बंदियों को नीचे उतरने का अनुरोध किया जिसका कैदियों पर कुछ असर नहीं हुआ, बल्कि बंदीगण ने उन्हे उलटे धमकी देना शुरू किया। छत पर चढ़े बंदियों की मांगें निम्न प्रकार थीं :—

(१) जमाना बदल गया और उन्हें कारा बगान में उपजी हरी सब्जी के रहने के बावजूद बाजार से खरीद कर अपनी मनपसन्द कीमती सब्जियां दी जायं।

(२) उनकी पसन्द के अनुसार कपड़ा तथा अतिरिक्त भोजन दिया जाय।

(३) इच्छानुसार कारा के भीतर घूमने की छूट दी जाय।

वास्तव में उनकी मांगें निराधार एवं खोखली थीं और उनकी असल मांगें तो विशेष केन्द्रीय कारा के हाल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के सहारा लेकर हंगामा करना था और प्रशासन को मजबूर करके अपनी मनमानी मांगों को पूरा कराना था। इनकी इन मांगों को आम बंदी भी गलत समझते थे जिसका परिणाम हुआ कि उन्हें आम

बंदियों से कोई समर्थन नहीं मिला। कुछ बंदियों की समझदारी इतनी थी कि उन्होंने महसूस किया कि ऐसे गलत ढंग से हंगामा करने से बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। अतः उन लोगों ने प्रकोष्ठ की छत पर चढ़े १४ बंदियों को उतारने में सक्रिय सहयोग दिया। स्थानीय प्रभारी कर्मचारी ने छत पर चढ़े बंदियों को बहुत समझाया और उनको आश्वासन दिया कि वे अपनी मांगें उचित तरीके से उपस्थापित करें और छत से उतर जायं। इसपर कुछ असर नहीं हुआ बल्कि वे उखाड़े हुए मुरेड़े से रोड़े बहुत देर तक चलाए। ऐसे हिंसात्मक रवैया अख्तियार करने का कोई ऐसा कारण नहीं था क्योंकि प्रशासन से अब तक कोई उत्तेजनात्मक कदम नहीं उठाया गया था। अब तो उन्हें नीचे उतारना ही अनिवार्य था और अनुशासनहीनता को अविलम्ब रोकना था। अनुशासनहीनता से असहमत मेट-पहरा एवं अन्य बंदियों के सक्रिय सहयोग से और कारा कर्मचारियों के प्रयास से उन्हें आखिर उतार दिया गया पर इस प्रयास में लाठी का कोई व्यवहार नहीं किया गया। आरोपित लाठीचार्ज नहीं हुआ क्योंकि नीचे से छत पर लाठी चार्ज सम्भव ही नहीं था। छत पर चढ़े हुए बंदियों का मुकाबला करने के लिए गुत्थमगुत्थी हुई और कभी-कभी ढेले का जवाब ढेले से देना पड़ा।

ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव में कथित १५० बंदियों का आहत होना एक अतिरंजना है। इस अवसर पर सिर्फ छत पर चढ़े हुए १४ बंदियों तथा उनके उतारने में लगे हुए बंदियों में से ६ को कुछ साधारण चोटें लगी हैं।

चोट की जांच सदर अस्पताल के चिकित्सक द्वारा करवायी गयी। किसी को गंभीर चोट नहीं है। यहां तक कि २० आहत बंदियों में से १० इलाज के बाद ही अस्पताल से मुक्त कर दिए गए। इन १० बंदियों में से ७ प्रदर्शनकारी छत पर चढ़े बंदी थे। जेल के अस्पताल में बकिए १० घायल बंदियों की अवस्था भी बिलकुल ठीक है।

*श्री रामचन्द्र भानू---सरकार ने अपने जवाब में बताया कि पूजा के बहाने सभी कैदी एक जगह एकत्रित हुए और छत पर चढ़ गये किन्तु उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को यह पता है कि भागलपुर केन्द्रीय कारा में भोजन, कपड़ा तथा अन्य सुविधाओं में ऐच्छिक कटौती वहां के अधिकारी किया करते हैं?

श्री दारोगा प्रसाद राय---ऐच्छिक कटौती करने का उनका अधिकार नहीं है। संभव है कि कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं।

श्री रामचन्द्र भानू---ऐसी बात नहीं है, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि मांग ....

श्री दारोगा प्रसाद राय - यह उनकी मांग की बात थी।

श्री रामचन्द्र भानू--क्या सरकार को मालूम है कि उनकी मांग के सम्बन्ध में जो बातें सरकार से कहवायी जा रही हैं वे सब वहां के अधिकारियों की मनगढ़ंत बातें हैं।

श्री दारोगा प्रसाद राय--यह बात वहीं से आयी है।

श्री रामचन्द्र भानू--क्या आप इसकी जांच करावेंगे?

श्री दारोगा प्रसाद राय--करावेंगे।

श्री रामचन्द्र भानू--क्या सरकार को पता है कि कारा प्रशासन इस बात के लिए बदनाम है कि वह मनमाने ढंग से काम करती है? क्या आप इसकी जांच करावेंगे तो औपचारिक घोषणा कर दें?

श्री दारोगा प्रसाद राय--कारा महानिरीक्षक को जांच करने का आदेश देंगे।

श्री रामचन्द्र भानू--क्यों नहीं इस सदन के २-३ माननीय सदस्यों की कमिटी बना ली जाय?

श्री दारोगा प्रसाद राय--इस विभाग के सबसे बड़े अफसर को मैं भेज रहा हूं।

श्री रामचन्द्र भानू--कारा प्रशासन के चलते तो आज आये दिन कारा के अन्दर गोली और लाठी चलती रहती है और उस समय जब गोली चली थी तो आप के कारा महानिरीक्षक छुट्टी पर भाग गये थे। इसलिए आपको माननीय सदस्यों की एक छोटी कमिटी बनानी चाहिए।

श्री दारोगा प्रसाद राय--अगर महत्वपूर्ण मामला रहता तो कमिटी भी बैठायी जा सकती थी, किन्तु साधारण बात के लिए कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है।

श्री रामचन्द्र भानू--यह मामूली बात है? १९६७ में मुजफ्फरपुर में दुर्घटना हुई और १९६७ में ही भागलपुर में भी गोली चली जिसमें २ व्यक्ति की जानें गयीं। इसलिए २-३ सदस्यों की कमिटी बनाने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है।

श्री दारोगा प्रसाद राय--इससे भी बड़ी-बड़ी घटना की जांच अधिकारी लोग करते हैं और कारा महानिरीक्षक तो उस विभाग के हाइएस्ट अफसर हैं। गोली जो चली

थी उसके लिए जुडिशियल इन्क्वायरी के लिए श्री कमला सहाय, रिटायर्ड जज को बहाल किया गया है।

सभापति (श्री शकूर अहमद)--अध्यक्ष को अधिकार है और उन्होंने भी मंजूर कर लिया है। इसका मतलब है कि आप का रिजेक्ट हो गया।

श्री एस० के० बागे – सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है कि अभी लीडर ऑफ दी हाउस सदन में हैं। मैं केवल २-४ मिनट आप का समय लेना चाहता हूं और आपके जरिए उनका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है कि लगभग एक वर्ष हो गया है, ८ फरवरी, १९६९

श्री पूरनचंद--मेरा एक निवेदन है कि सदन के बाहर कुटीर उद्योग के छंटनी किये गये मजदूर

सभापति (श्री शकूर अहमद)---इसको प्रतिवेदक नोट नहीं करेंगे। इसके बारे में कुछ नहीं होगा। हर चीज का समय होता है।

श्री लोकनाथ मोची---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर भाषण हो रहा है और सारा दिन इसी तरह से होता है। नतीजा होता है कि मुख्य काम नहीं होता है। सदन में बहुत हल्ला होता है। पीछे माननीय सदस्यों को शिकायत रहती है कि मौका नहीं मिला।

सभापति (श्री शकूर अहमद)---माननीय सदस्यगण, आपलोग सहयोग करेंगे तभी सदन का काम चल सकता है।

*श्री धनिक लाल मंडल---सदन के नेता मुख्य मंत्री हैं, विरोधी पक्ष से नेता हैं और आप हैं। दो-तीन साल से मामला चल रहा है। लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसपर माननीय मुख्य मंत्री को बताना चाहिए कि सरकार इसपर क्या करना चाहती है।

सभापति (श्री शकूर अहमद)---मुख्य मंत्री को इसमें बतलाना है। मैं आपको इसमें कुछ नहीं मदद कर सकता हूं। साढ़े तीन बजे तक सदस्यों को बोलना है और इसी में आप सब समय समाप्त कर दीजियेगा तो सदस्यों को समय नहीं मिल सकेगा।

(इस अवसर पर कई एक माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री धनिक लाल मंडल---मैं आपको सहयोग देना चाहता हूं।

(सदन में काफी शोरगुल और थपथपी।)

सभापति (श्री शकूर अहमद)---माननीय सदस्य माफ करेंगे। इसको सहयोग नहीं कहते हैं कि एक ही बार कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगें।

(सदन में काफी शोरगुल।)

श्री धनिक लाल मंडल---६ साल, ७ साल और १० साल से लोग काम कर रहे हैं और उनकी छंटनी हो गई है जिसके विरुद्ध वे मुख्य मंत्री के यहां धरना दिये हैं। इसपर मुख्य मंत्री को कुछ बतलाना चाहिए।

सभापति (श्री शकूर अहमद)---आप अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं आप से जानना चाहता हूं कि किस नियम के मुताबिक मुख्य मंत्री को मैं बाध्य कर सकता हूं।

श्री धनिक लाल मंडल---आप को पूरा अधिकार है, आप कह सकते हैं।

(सदन में काफी शोरगुल।)

सभापति (श्री शकूर अहमद)---शांति, शांति। माननीय सदस्य शांत रहें।

(सभापति के आदेश के बावजूद भी कई सदस्य खड़े होकर बोलते रहे)।

श्री धनिक लाल मंडल---सभापति महोदय, .....

(सदन में काफी शोरगुल)।

सभापति (श्री शकूर अहमद)---आपलोग शांत नहीं रहेंगे तो सदन का काम चलाना मुश्किल हो जायेगा। आपलोग सहयोग करें।

श्री धनिक लाल मंडल---सरकार को जवाब देना चाहिये।

सभापति श्री शकूर अहमद)---माननीय मुख्य मंत्री आप कुछ कह सकते हैं?

श्री रवीशचन्द्र वर्मा---सभापति महोदय, यह ठीक नहीं है, यदि आप इनके व्यवस्था के प्रश्न को सही समझते हैं तो एलाऊ कीजिये और सही नहीं समझते हैं तो एलाऊ नहीं करें।

सभापति (श्री शकूर अहमद)—इनके व्यवस्था के प्रश्न के बारे में तो कह दिया।

श्री रवीशचन्द्र वर्मा—जब आप ने जवाब दे दिया तो फिर आप क्यों पूछते हैं कि क्या मुख्य मंत्री महोदय, कुछ आपको कहना है ?

(इस अवसर पर सदन में काफी शोरगुल)

सभापति (श्री शकूर अहमद)—मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आप सदन के काम चलाने में बाधक बन रहे हैं।

श्री पूरण चन्द—सभापति महोदय,.....

सभापति (श्री शकूर अहमद)—माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री पूरण चन्द—सभापति महोदय, मैं एक मिनट में.....

(सदन में काफी हो हल्ला और सभापति के आदेश के बाद श्री पूरणचन्द बोलते रहे जो सुनाई नहीं पड़ा)।

सभापति (श्री शकूर अहमद)—शांति, शांति।

(इस अवसर पर कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे।)

सभापति (श्री शकूर अहमद)—पूरणचन्दजी, आप बैठ जायं।

(सभापति के आदेश के बाद भी श्री पूरणचन्द बोलते रहे।)

श्री पूरणचन्द—सभापति महोदय,.....

सभापति (श्री शकूर अहमद)—श्री पूरनचन्द, आप कृपया बैठ जायं, नहीं तो सदन से बाहर चले जायं।

(इसके बाद भी श्री पूरणचन्द जी बोलते रहे)।

(माननीय सदस्य श्री पूरणचन्द मार्शल द्वारा सदन से बाहर ले जाये गये।)

श्री हेमेन्द्र प्रताप देहाती—सभापति महोदय, जब तक मुख्य मंत्री जवाब नहीं देंगे तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है।

श्री जनार्दन तिवारी--सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन में जो गड़बड़ी करते हैं उनको सदन से बाहर निकाला जाय।

सभापति (श्री शकूर अहमद)--शांति, शांति। माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री सीताराम रजक--सभापति महोदय, मेरा एक प्वायेन्ट ऑफ ऑर्डर है। मैं कहावत कहना चाहता हूं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय, काम बिगाड़े आपना जग में होत हंसाय। माननीय सदस्य क्यों बोलते हैं, उनको नहीं बोलना चाहिये।

(इस अवसर पर सदन में काफी हो हल्ला और कई सदस्य एक ही बार खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री विश्वनाथ मोदी--सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आज से ऐसी परम्परा होने जा रही है कि कोई भी महत्वपूर्ण सवाल पर सदन का ध्यान, आपका ध्यान और सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं किया जा सकता है? हजारों आदमी भूखे मर रहे हैं तो क्या इस मामले पर सदन के बीच में ध्यान नहीं आकृष्ट किया जा सकता है?

सभापति (श्री शकूर अहमद)--किया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं, कायदे हैं उनके मुताबिक किया जा सकता है।

श्री राम बहादुर आजाद--सभापति महोदय, सामान्य प्रशासन की मांग पर वाद-विवाद होने वाला है और माननीय सदस्य इस ढंग से पेश आ रहे हैं तो मैं इसके विरोध में सदन का परित्याग करता हूं।

(माननीय सदस्य ने सदन का परित्याग किया)

(इस अवसर पर सदन में थपथपी।)

श्री विश्वनाथ मोदी--सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति (श्री शकूर अहमद)--माननीय सदस्य बैठ जायं। आपका व्यवस्था का प्रश्न है उसका जवाब दे दिया गया है। हर चीज का नियम होता है।

श्री कमलदेव नारायण सिंह—सभापति महोदय, आपने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। सरकार इस पर जवाब दे दे।

सभापति (श्री शकूर अहमद)—सभापति बाध्य नहीं कर सकता है।

श्री विश्वनाथ मोदी—सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . .

(इस अवसर पर कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे।)

सभापति (श्री शकूर अहमद)—इस तरह से व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है कि एक ही बार कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे।

श्री विश्वनाथ मोदी—सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आज महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित नहीं किया जा सकता है?

सभापति (श्री शकूर अहमद)—किया जा सकता है, उसका नियम है, कायदा है उसी के अनुसार किया जा सकता है।

---

आय-व्ययक : अनुदानों की मांगों पर मतदान : सामान्य प्रशासन : कटौती प्रस्ताव :

राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन पर विचार-विमर्श करने के लिए।

श्री एस० के० बागे—सभापति महोदय, २७ जून, १९६९ को जिस समय शास्त्रीजी की सरकार थी उस समय सदन के अन्दर एक महत्वपूर्ण घोषणा की गयी थी। सभापति महोदय, सबसे पहले शास्त्री सरकार ने यह घोषणा की थी कि संथाल परगना एवं छोटानागपुर में रिजनल एटोनोमस बोर्ड बनेगा। इस सदन में कितने चीफ मिनिस्टर आये और गये। जब पंडित विनोदानन्द झा की मिनिस्ट्री थी तो उस समय भी यह बात चली थी। महामाया मिनिस्ट्री आयी, मंडल मिनिस्ट्री आयी, शास्त्री मिनिस्ट्री आयी, ७-८ मिनिस्ट्री आने के बाद भी आजतक रिजनल एटोनोमस बोर्ड की स्थापना न हो सकी जबकि सभी मिनिस्ट्री ने कहा कि यह बोर्ड बनेगा। सरदार हरिहर सिंह की तो चिट्ठी है जिन्होंने लिखा भी है कि एटोनोमस बोर्ड बनेगा। आज के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यह घोषणा की है लेकिन आजतक वह बोर्ड नहीं बन सका है,